(70)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एस0एस0अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 561–तीन/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.03.08 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 1276/अपील/06–07.

बद्रीप्रसाद तनय रामगोपाल ब्राम्हण
निवासी ग्राम हरदुआ तहसील सिरमौर
जिला रीवा मध्यप्रदेश

--- आवेदक

विरूद्ध

1– सुरसरी उर्फ साधू
2– रामबहोर उर्फ छोटे (मृत)
वरिसानः–
क– मुस0 संतोष कुमारी स्व0 पति रामबहोर
ख– रामभरोसा उर्फ देवमुनि
ग– रामसुंदर उर्फ नन्नू घ– अवधेश
ड.– राजकिशोर च– रावेन्द्र मिश्रा पुत्रगण
स्व0 रामबहोर मिश्रा सभी निवासीगण
ग्राम हरदुआ तहसील सेमरिया
जिला रीवा म0प्र0
3– शिवबहोर उर्फ कितकी तनय
स्व0 श्री रामसजीवन मिश्र
निवासी ग्राम हरदुआ तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0

4– हनुमान प्रसाद तनय चन्द्रिका प्रसाद (मृत)
वारिसानः–
अ– ललिता देवी पत्नी स्व0 गोबिन्द प्रसाद
ब– सचितानंद पाण्डे पुत्र स्व0 गोबिन्द प्रसाद
निवासी ग्राम बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0
5– मध्यप्रदेश शासन

---अनावेदकगण

आवेदक अधिवक्ता श्री मनोज तिवारी
अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय हैं।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28– 11–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 1276/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 29.03.08 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गतयह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में आवेदक ब्रदीप्रसाद द्वारा संहिता की धारा 109/110 के तहत विवादित आराजियातों के नामांतरण बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.07को स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध दो पृथक–पृथक अपीलें क्रमशः

अनावेदकगण कमांक 1 ता 3 व अनावेदकगण कमांक 1 ता 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 16.8.07 के तहत स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 29.03.08 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है जो उनके द्वारा तर्क मैं कहा गया है कि प्रश्नाधीन भूमियों का व्यवहार वाद श्रीमान न्यायाधीश वर्ग–1 सिरमौर जिला रीवा में व्यवहार वाद कमांक 198अ/06 हनुमान प्रसाद पिता चंद्रिका प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें आदेश व आज्ञा से दिनांक 15.09.06 द्वारा निरस्त किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि प्रश्नाधीन भूमि बांकेराम की मानी गई हे बांकेराम की मात्र वारिस उत्तराधिकारी भगवनिया (बहन) प्रमाणित है, जिसमें अपने पुत्र के पुत्र यानी नाती आवेदक बद्रीप्रसाद पिता रामगोपाल के हक में वसीयत दिनांक 24.2.95 निष्पादित किया है, भगवनिया की मृत्यु दिनांक 23.9.03 को हो जाने से आवेदक वसीयत के आधार प्रश्नाधीन भूमियों का स्वत्व स्वामित्व अधिपत्यधारी है। इसी कारण से विचारण न्यायालय ने आवेदक के हक में जो नामांतरण का आदेश दिनांक 07.07.07 को पारित किया है उसमें किसी तरह की अनियमितता एवं अवैधानिकता नही है। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि वसीयतनामा नामांतरण लेख दिनांक 24.2.95 साक्षियों द्वारा प्रमाणित है जिससे संदेह विद्यमान नहीं है। भगवनिया बांकेराम की

उत्तराधिकारी थी जिसे अनावेदकगण ने स्वीकार किया है, इसी तारतम्य में भगवनिया के पुत्रों ने व्यवहार न्यायालय में जबाव दावा प्रस्तुत कर वसीयत दिनांक 24.2.95 का लेख भगवनिया द्वारा निष्पादित किये जाने की पुष्टि की है, उक्त न्यायालय जबाव से भगवनिया पुत्रों को विपरीत कथन करने का अधिकार शेष नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा जिस तकनीकी आधार पर तहसील न्यायालय का आदेश अपास्त किया है वह आदेश गुण–दोष के आधार पर विचारण किया जाना आवश्यक था, किन्तु प्रथम अपील में सम्मन प्राप्ति बहस आदेश दिनांक 16.8.07 में ही इस आधार पर पारित किया है कि पीठासीन अधिकारी दिनांक 6.07.07 को स्थानांतरित हो गये है जो काल्पनिक था व रहा है। तहसीलदार पीठासीन अधिकारी 7.7.07 को समय 5.30 बजे कार्यभार से भारमुक्त हुये हैं जिससे प्रश्नाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा काल्पनिक तकनीकी त्रुटि पर आदेश दिनांक 16.8.07 पारित किया गया है इसी तारतम्य में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी बांकेराम पिता नीलमणिराम ब्राम्हण निवासी बीरखाम थे जिसमें गलत तरीके से दिनांक 3.6.77 परित्याग आधार 18.6.66 के आधार पर नामांतरण हनुमान प्रसाद अनावेदक क्रमांक–4 ने करा लिया जो अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा दिनांक 10.8.92 के तहत अपील निरस्त की जा चुकी है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर का आदेश दिनांक 16.8.07 एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 29.3.08

निरस्त किये जाने का निवेदन किया है, तथा आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को एवं लिखित बहसी पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय है। आवेदक अधिवक्ता के तर्क एवं प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में नामांतरण हेतु व्यवहार वाद क्रमांक 198अ/06 आदेश दिनांक 15.9.06 के आधार पर नामांतरण का आवेदन पत्र पेश किया गया है। आवेदक पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त भूमि के भूमि स्वामी बांकेराम तनय नीलमणिराम ब्रा0 निवासी वीरखाम थे, अनावेदक क्रमांक–2 ने गलत तरीके से दिनांक 3.6.77 को परित्याग पत्र दिनांक 18.2.60 के आधार पर नामांतरण करा लिया था। आवेदक अधिवक्ता के तर्क से यह बल मिलता है कि सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.9.06 में अनावेदक हनुमान प्रसाद को विवादित भूमियों का स्वत्वाधिकारी व काबिजधारी नहीं माना है। जबकि भगवनिया के चारो पुत्र रामगोपाल, सुरसरीप्रसाद, रामबहोर व शिबहोर ने अपने जबाव में यह स्वीकार किया हे कि प्रश्नाधीन भूमियों का अंतरण मु0 भगवनिया ने आवेदक को कर दिया है वारिस पुत्रों द्वारा वसीयत स्वीकार किये जाने से मात्र आवेदक स्वत्वाधिकारी व मालिक शेष रह गया है । तहसीलदार ने अपने आदेश में उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 08 व व्यवहार न्यायालय में वारिसों की सहमति के आधार पर आवेदक के नाम विवादित भूमि का नामांतरण स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

आवेदक अधिवक्ता के तर्क में यह भी बल मिलता है कि भगवनिया के चारो पुत्रों ने सिविल न्यायालय में प्रस्तुत अपने जबाव दावा के पेरा कमांक 14 में यह स्वीकार किया हे कि मु0 भगवनिया ने दिनांक 24.2.95 को विवादित भूमियों का वसीयतनामा अपने नाती बद्री प्रसाद के हक में निष्पादित कराया था। इसकी पुष्टि आवेदक व गवाहों के कथनों से होती है। इन समस्त कार्यवाहियों से परिलक्षित होता है कि तहसीलदार का आदेश विधि प्रावधानों से सही है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में मात्र यह उल्लेख किया है कि तहसीलदार का स्थानांतरण होने के पश्चात आदेश पारित किया है जिससे यह स्थिर रखने योग्य नहीं है इसी की पुष्टि अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.3.08 द्वारा की गई है, जबकि माननीय सिविल न्यायालय के आदेश की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है, सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधन कारी है। अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र काल्पनिक के आधार पर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में भूल की है। फलतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तहसीलदार ने अपने आदेश में सिविल न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुये आदेश पारित किया है इसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। परिणामस्वरूप अनुविभागयी अधिकारी सिरमौर का प्रकरण कमांक 104/अ–6/अपील/06–7 एवं 111/अ–6/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 16.8.07 एवं अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 1276/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 29.3.08

त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार का प्रकरण कमांक 33/अ–6/06–07 में पारित आदेश दिनांक 07–07–2007 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर